"मुस्कुराहट"

लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अभियान 2016

एक्शन एड

पृष्टभूमिः-

देश में बच्चों पर लैंगिक अपराधों (यौन हिंसा) की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा मजबूत एवं प्रभावी कानून लागू किया है। इस कानून का नाम "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012)" है। यह कानून एवं इसके संगत नियम 14 नवम्बर, 2012 से पूरे देश में लागू हुए है । बच्चों की स्थिति को लेकर सरकारी व गैर सरकारी संगठनों ने 2007 में एक अध्ययन किया जिसके परिणाम चिंताजनक है कि पूरे दुनियां में हर पाँचवाँ बच्चा यौन शोषण का शिकार है।

आकड़ों कि माने तो...........

- भारत में बच्चों कि आबादी 42 प्रतिशत है जिसमें हर 10 वॉ व्यक्ति में से चौथा बच्चा है।
- भारत में 53 प्रतिशत बच्चें यौन शोषण के शिकार है।(अध्ययन,2007 महिला बाल कल्याण मंत्रालय, भारत)
- "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के कानून को राजस्थान में लागू किया गया, जिसके तहत 182 दिनों में 283 मामले दर्ज किए गए।
- राजस्थान के 283 केस में 464 लोग पर आरोप था कि एक से अधिक व्यक्ति अपराध में शामिल थे।
- राजस्थान में प्रतिदिन एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है।(हिंदुस्तान टाइम्स, जुलाई, 04,2016 के अनुसार)

आकड़े जो सामने होते हुए भी ऐसी घटनाएँ को रोज होती है और लोग उनहें बड़ी आसानी से नज़र अंदाज भी कर देते है। ऐसी घटना बच्चों के साथ घट रही होती है उदाहरण स्वरुप कि जब कोइ मेहमान या रिश्तेदार कभी घर आते है तो बच्चा उन्हें देखकर नाराज या गुस्सा या चिल्लाना, छुप जाना, भाग जाना आदि करने लगते है तब बच्चों को डाट कर उनके पास, साथ भेजा जाता है और इसमें बच्चों कि परिस्थितियों को जाने कि कोशिश नहीं कि जाती और उन्हें रिश्तों का नाम देकर टाल दिया जाता है। इसलिए ये बेहद आवश्क है कि इस

कानून को समाज के सभी तबकों के लोगों के साथ साझा किया जाए ताकि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन शोषण या हिंसा को नजर अंदाज न किया जाए।

एक्शन एड एक स्वंय सेवी संस्था है जो भारत मे 1972 से कार्यरत है। भारत के आलावा विश्व के 40 देशों में भी कार्य कर रही है। भारत के 25 राज्यों व एक केन्द्र शासित प्रदेश(UT) में कार्यरत है। एक्शन एड बच्चों के साथ बढ़ रहे लैगिंक अपराधों (यौन हिंसा) जैसे उनके गुप्त अंगों को छूना या अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील कार्यों में बच्चों का उपयोग, अश्लील टिप्पणियां, गालियां देना, पीछा करना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं लैगिंक कार्यों के लिए बच्चों की तस्करी ऐसे सभी अपराधों को रोका जा सके जिसके लिए प्रयासरत है। राजस्थान में बच्चों के साथ आए दिन घट रहे और बढ़ रही घटनाऔं के रोक-थाम के लिए कार्य के विस्तार को लेकर जयपुर जिला प्रशासन व विभिन्न संगठनों जिसमें एक्शन एड, जयपुर भी शामिल हुआ । जिसमें एक्शन एड ने ये जिम्मेदारी ली कि इस कार्य में जो भी तकनिकी सहयोग देगें। आ.ई.सी मेटरियल को तैयार किया।

पोस्टर- 1

पोस्टर- 2

पोस्टर- 3

ये आवश्कता को महसूस करते हुए एक्शन एड ने ये फैसला किया कि कैसे पोक्सो को जागरुकता अभियान के रुप में लोगों के बीच लेकर जाया जाए ताकि पोक्सो कानून की जानकारी से समाज के हर व्यक्ति जुड़े।

पहला चरणः-

जागरुकता अभियान का पहला चरण में जयपुर जे.एन.यू कॉलेज के युवाओं कि टोली के साथ जयपुर रेलवे स्टेशन,स्कूलों व कुछ बस्तीयों में नुक्कड़ नाटक व बैठक के द्वारा किया गया।

अभियान के प्रथम चरण के कार्य व लोगों के जुड़ाव को देखते हुए एक्शन एड ने अभियान को आगे बढ़ाते हुए। बच्चों के लिए कार्य करने वाले सरकारी व गैर सरकारी संगठनों व संस्थाओं को शामिल किया। जिसके लिए संगठनों व संस्थाओं के साथ जागरुकता अभियान के दुसरे चरण हेतु एक बैठक कि गई। जिसमें मुख्य रुप से चर्चा चली कि अभियान को कैसे, कब और कहाँ- कहाँ करेगे और इसमें क्या करेगें। अभियान का प्रारुप तैयार हो जिसमें एक नीति निर्धारित हों ताकि जागरुकता के साथ-साथ पिड़ितों को भी इंसाफ मिल सके।

Beti
act:onaid

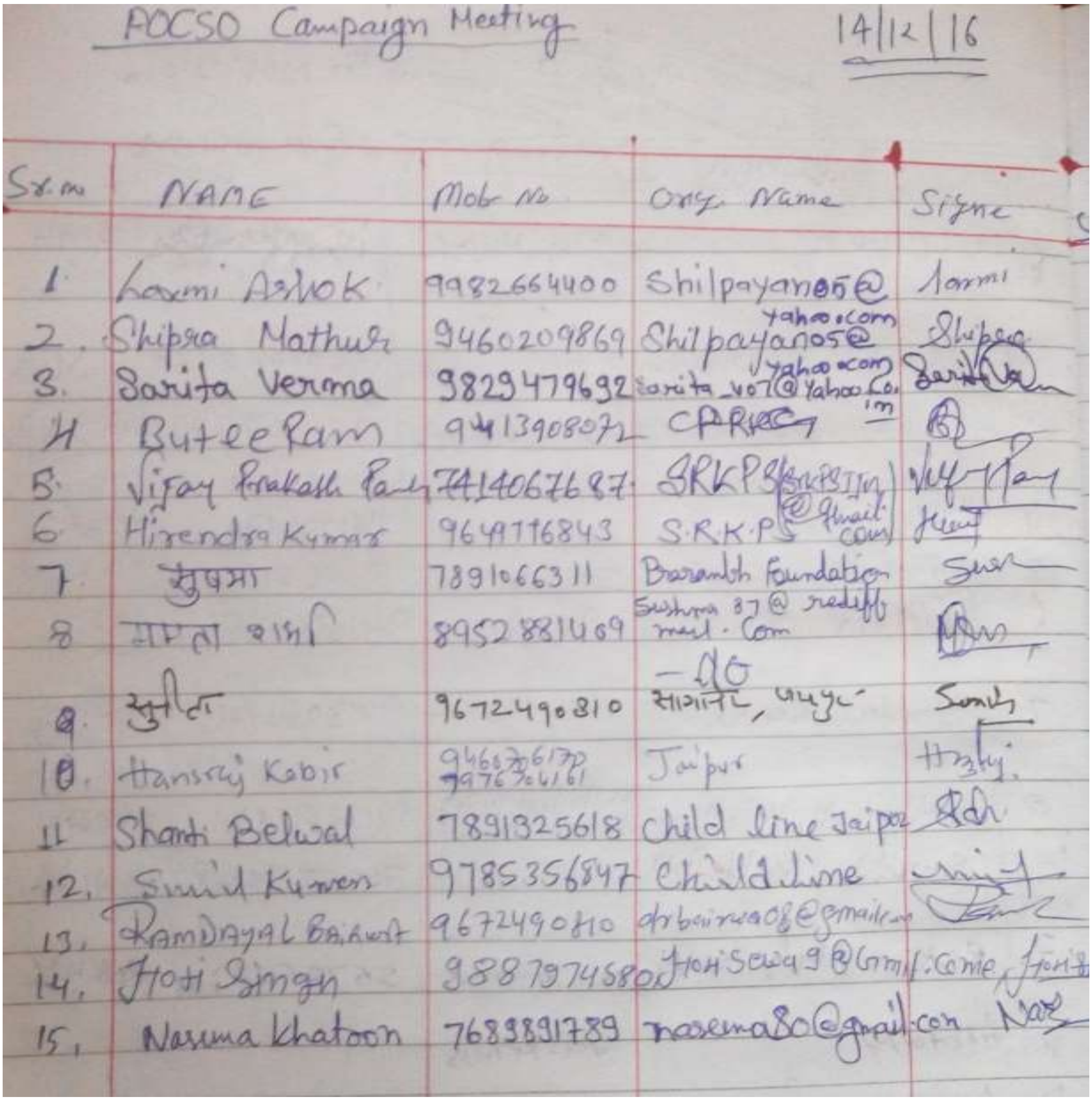

POCSO Campaign Meeting 14/12/16

Sr. no	NAME	Mob. No	Org. Name	Signe
1	Laxmi Ashok	9982664400	Shilpayan05@yahoo.com	Laxmi
2.	Shipra Mathur	9460209869	Shilpayan05@yahoo.com	Shipra
3.	Sarita Verma	9829479692	sarita_v07@Yahoo.co.in	[illegible]
4	Buteeram	9413908072	CARKC	[illegible]
5	Vijay Prakash Pa	7414067687	SRKPS srkps1@gmail.com	Vijay
6	Hirendra Kumar	9649116843	S.R.K.P.S	[illegible]
7	सुषमा	7891066311	Baraw Foundation sushma 87@rediff mail.com	Sush
8	ममता शर्मा	8952881469	-do-	[illegible]
9	सुनीता	9672490810	साथी, जयपुर	Sunita
10.	Hansraj Kabir	9460706170 9976706161	Jaipur	Hansraj
11	Shanti Belwal	7891325618	Child line Jaipur	[illegible]
12.	Sunil Kumar	9785356847	Child line	[illegible]
13.	Ramdayal Bairwa	9672490810	drbairwa08@gmail.com	[illegible]
14.	Hoti Singh	9887974580	Hotisewa9@Gmail.com	Hoti
15.	Nasima khatoon	7689891789	naseema80@gmail.com	Nas

जागरुकता अभियान का प्रारुप में ये तय किया कि सच्ची धटना पर आधारित (काहानी) -

कहानी उसकी जुबानी...........

जिसको साथ दरिंदगी का ये सिलसिला पूरे 11 साल तक बदस्तूर जारी रहा। हरीश अय्यर जाना-माना इसलिए क्योंकि आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में इन्होंने अपनी ये कहानी सुनाई थी।(हरीश ने फेसबुक पेज **'humans of bombay'** पर लिखा है) कि कैसे **11 सालों** तक घुट-घुटकरदर्द को बर्दाश्त करके उसका आत्म विश्वास खोता जा रहा था। **12 साल** की उम्र होते होते इसदरिंदगी के खेल में उसके चाचा के दोस्त भी शामिल हो गए। पीड़ित ने लिखा है कि बहुत खूननिकलता था दर्द भी होता था लेकिन वो चुप रहता था। रेप के बाद यूं तो वो चुप्पी साधे रहताथा। लेकिन घर में जरा सी बात पर वो जी भरकर रोता था। उसे पुरुषों के लिए बने सार्वजनिकशौचालयों में भी जाने से डर लगता था। हरीश जैसे -जैसे अपने युवा हो रहा था उतने ही उसकेतनाव बढ़ रहे थे। जब उसे 18 साल की उम्र में समझ आने लगा कि उसके साथ जो हो रहा हैवो नॉर्मल नहीं है। उसके बाद 11 साल बाद उसने पहली बार अपने चाचा को लात मारकर नहींकहा। उसके बाद उसने पूरी बात अपनी मां को बताई। उसने जब ये बात अपनी मां को बताईतो उसकी मां ये **सुन कर सन्न रह गई** और कहा कि 'मैं नहीं जानती थी कि लड़को के साथ भीऐसा होता है'। उसके बाद हरीश को एहसास हुआ कि मर्दों को नजरअंदाज किया जाता है। उनकीदर्द भरी आवाज कोई नहीं सुनता। जब उसने इस बात का जिक्र दोस्तों में किया तो उसकामजाक उड़ाया गया। उसको यह एहसास होने लगा कि वह 'गे' है। कानून का सहारा लेने कीकोशिश की तो पता लगा कि लड़को के चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के लिए कोई कानून ही नहीं है।

कोमल (विडीयो) चाईल्ड लाईन (https://www.youtube.com/watch?v=VkY0xqtw6W8) के द्वारा निर्मित को लोगों व बच्चों को दिखाया गया।

अभियान के अंर्तगत न निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा हुईः-

- आपने क्या कभी आपने बच्चो को डराने से या परेशान करने वालो से को रोका है ।
- कभी आप आपने बच्चे से बात करते है कि उनको क्या अच्छा लगता है।
- माँ- बाप कैसे जाने कि बच्चा क्यों परेशान है ।
- बच्चों को अपनी सुरक्षा क्या- क्या करना चाहिए ।
- कहीं कभी ऐसा हो जाए तो हमें किस नम्बर पर कॉल करना चाहिए ।
- घर में किनसे बच्चे अपनी बात कहे ।
- कब हमें ना कहना चाहिए व कौन सी बातें है।

इन बिंदुओं के साथ पोक्सो कानून क्या है? इसकी भी जानकारी दि गई।

पोक्सो अभियान एक नज़र ......

क्रं.सं	संस्था का नाम	दिनांक	स्थान	उपस्थित

				लोग
1,	जे.एन.यू , जयपुर	08/10/21016	बाबा रामदेव बस्ती	50
2,	ज्योति सेवा संस्थान	09/11/21016	सड़वा बस्ती (Sr.Sceondary School)	150
3,	ज्योति सेवा संस्थान	17/11/21016	जयसिंहपुरा खोर (Sr.Sceondary School	350
4,	SRKPS	21/12/21016	आंगनवाड़ी केंद्र चाकसू	20
5,	राजस्थान प्रगति शील महिला फेडरेशन	22/12/21016	आंगनवाड़ी केंद्र चंदवाजी	50
6,	राजस्थान पॉजेटिव नेटर्वक	24/12/21016	मोदी धर्मशाला	20
7,	दलित महिला नेटर्वक	27/12/21016	वाटर वर्क स्कूल, पानीपेंच	50
8,	दलित महिला नेटर्वक	28/12/21016	जैन मंदिर,पानीपेच	35
9,	राजस्थान प्रगति शील महिला फेडरेशन	29/12/21016	झालाना	50
10,	FXB INDIA	03/01/21017	सूत का मील	30
11,	FXB INDIA	04/01/21017	हसनपुरा	30
12,	प्रारंभ संस्था	05/01/21017	बापू बस्ती	50
13,	कनकलता (सामाजिककार्यक्रता)	07/01/21017	संजय नगर	60
14,	प्रिया संस्था	12/01/21017	बाबा रामदेव बस्ती	50
15,	मेहनतकश	12/01/21017	राजीव नगर	30

अभियान के दौरान सहभागियों के सवाल व प्रतिक्रियाएं -

1. हमारी एनम साथी ने कहां कि अच्छा है कि ये कानून है लेकिन हमें पता आज चला इसी तरह हम इसकी जानकारी और लोगों तक बांटेगें ।
2. सभी स्कूलों में ये सूचना लागू हो ताकि सभी बच्चों को पता चले।
3. इस अभियान को पंचायत व विभिन्न प्रकार कि समितियों से जोड़ा जाए जिसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा आदेश पत्र जारी हो कि पोक्सो कानून के बारे में वह अपने एरिया या विभाग आदि में चर्चा करें।
4. लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाँ होते है कि हम देखकर भी अनदेखा कर देते है। अरविन्द जी ने कहां कि “जैसे जीजा व साली को रिश्ता अगर बच्ची बोले भी कि

ऐसे मत करो या घर वालों को भी बताए कि जीजा जी अच्छे नहीं है तो हम उसको ये **कहते है कि अरे जीजा ही तो है**???"

5. दयाराम जी ने कहा कि ये सच है कि हम ऐसी घटना देखते हुए भी नजर अंदाज कर देते है अगर कभी सोचते भी है तो कि क्या करे तो कुछ नहीं होगा ऐसा सोचकर चुप रह जाते है। "मैं एक दिन जा रहा था उसी रास्ते में एक बालिका स्कूल के पास मैंने देखा कि कुछ लड़के मोटर साईकिल पर सवार दो बच्चीयों को छेड़ रहे थे । मैनें पहले उनके मोटर साइकिल कि नंम्बर लिखे और दौड़कर उनके पास पहुँचा कि वह वहाँ से भाग खड़े हुए उन बच्चीयों ने बताया कि ये लोग रोज हमें परेशान करते है। हमने उसी वक्त पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाया उनके गाड़ी नंम्बर से पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।"
6. अभियान के दौरान एक बस्ती में एक छः साल के बच्चे ने कहा कि दिदि में जरुर 1098 पर कॉल करुगा मेरे स्कूल में हमारे टिचर बच्चों को बहुत पिटते है लात और घूसे से मारते है हमे अच्छा नहीं लगता है।
7. इन प्रोग्राम के बाद हमने सभी से भेंट की महिलाओं ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम फिर से होने चाहिए हमने बच्चौं के साथ इस बारे मे बताया सभी बच्चे इससे प्रभावित हुये इतना ही नही उन्होंने अपने दोस्तो के साथ भी बातचीत की और लोगों को भी बताया
8. इस तरह पोक्सो चर्चा लोगों के बीच बनी रही कुछ महिलाओं ने कहा कि आप अपने घर के नजदीक ही एक प्रोग्राम कर सकती है सभी लोग आ सकते है साथ ही आपको सहयोग भी प्राप्त हो जायेगा आप को हम जानकारी उपलब्ध करवायेगे।
9. कुछ ने कहा कि समय के अभाव के चलते प्रोग्राम हुआ नही तो प्रोग्राम ओर बेहतर हो सकता था ओर लोगों तक भी ये सन्देश पहुँच जायेगा।

जैसा कि हम जानते है कि हम सभी पोक्सो अभियान की सफलता औऱ जागरुकता के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे है हमने हमारे क्षेत्र मे कई प्रकार के अनुभव किये है काफी केस भी हमने प्राप्त किए।

दैनिक भास्कर, 23, दिसम्बर 2016

आंगनबाड़ी केन्द्र पर गुरुवार को महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जयपुर ग्रामीण प्रभारी नसीमा खातून के नेतृत्व में लैंगिक अपराध यौन हिंसा से बालकों के संरक्षण व महिला हिंसा की रोकथाम को लेकर महिलाओं की बैठक हुई। महिला कॉस्टेबल चन्द्रा स्वामी ने बताया कि लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम पोक्सो के तहत सभी को जागरूक होना आवश्यक है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को तैयार कर 14 नवम्बर 2012 को लागू किया गया था। लेकिन इसकी जानकारी के अभाव में आज भी बालकों व महिलाओं के साथ हिंसा होती रहती है। इस कानून में बेटे-बेटी के साथ शारीरिक संबध बनाना, उनके गुप्त अंगों को छूना,अश्लील चित्र दिखाना,अश्लील कार्यों में बच्चों को उपयोग,अश्लील गालियाँ देना, पीछा करना, अश्लील सामग्री का संधारण एवं लैंगिक कार्यों के लिए बच्चों की तस्करी भी अपराध के रूप में शामिल करते हुए कठोर सजा निर्धारित की गई है। उपस्थित महिलाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीरी बांटी गई।

दूरदर्शन, जयपुर 5, जनवरी 2017

दूरदर्शन "मेरी आवाज सुनों" पोक्सो कानून पर वार्तालाप।

अभियान अब तक जयपुर शहर के विभिन्न 15 बस्तीयों व आंगनवाडी केन्द्र, संस्थाओं के साथ मिलकर के किया गया जिसके परिणाम इस अभियान से हम कुल 975 लोगों व बच्चों के पास पहुँचा पाए। अभियान के द्वारा पाँच ऐसी घटनाएँ,केस सामने आई जो इसप्रकार हैः-

केस स्टडी न.1

योगेश पिता का नाम रमेश चन्द माता का नाम चन्दा देवी योगेश 5 साल पहले 20 दुकान जा रहा था तभी एक गाड़ी उसके पास रुकी उस गाड़ी से दो लोगों ने योगेश से रास्ता पुछा योगेश ने रास्ता बता दिया लेकिन उन लोगो ने कहा कि तूम चलकर बता ओ योगेश गाड़ी मे बैठ गया कुछ दूरी पर उन लोगों ने योगेश को बर्गर खिलाया जिसमे कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ था जिसे खाने के बाद योगेश को होश नही रहा वे लोग योगेश को रीगस ले गये ओर पुरी रात रखा यहां तक की योगेश के कपडे भी बदले वहाँ से वे लोग योगेश को बस मे बैठा कर ले जा रहे थे स्पेस सिनेमा के पास वे लोग कुछ सामान लेने के लिये उतरे तभी योगेश के रिश्ते दार ने योगेश को देखा ओर बस से उतार कर घर ले गये इस तरह योगेश उन लोगो के चगुल से बच पाया।

केस स्टडी न.2

माया देवी पत्नि ओमप्रकाश की बहन मुन्नी देवी पत्नी सूरज का बेटा ओर माया देवी का बेटा दोनों नाले मे गये वहाँ पर कुछ लोगो ने सरजु को पकड़ लिया लेकिन सरजु भाग गया और उन्होंने ने दीपक को पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम किया दीपक की हालत खराब हो गई सरजु ने घर आकर सबको बताया सभी लोग घर से भागे लोगो को आते देख वे लोग दीपक को छोड़ भाग गये लोग दीपक को लेकर आये और उसका मेडिकल करवाया और थाने मे रिपोर्ट दर्ज करवाया लेकिन

कोई लाभ नही मिला ये धटना 10 वर्ष पहले की हैं लेकिन आज भी दीपक उस धटना को याद कर दहल जाता है।

केस स्टडी न.3

मनजीत का बेटा कुलदीप एन सीसी कैम्प मे विघालय की ओर से गया रात को वह कैम्प मै लेटा था तब उसे कुछ आवाज आई कुलदीप उठा और जाकर देखा तो पाया कि द्धितीय सोपान का लडका तृतीय सोपान के लडके के साथ गलत काम करने का प्रयास कर रहा था कुलदीप गया और अपने पैर की चप्पल उस लडके पर मारी और उन्होंने उसे छोड़ दिया और कुलदीप को धमकी दी कि तुझे छोडेगे नही इस प्रकार कुलदीप ने उनको बचाया।

उपरोक्त ये तीनों केस शास्त्री नगर थाना पानी की टंकी के अंर्तगत आता है।

केस स्टडी न.4

गजानंन्द टॉक पुत्री मिनाक्षी उम्रः- 17 वर्ष 27,12,2016 को उनके पड़ोसी के लड़के ने उसके साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ इस बात को दोनों परिवार ने मिलकर सुलह करा दि लेकिन उसके पड़ोसी के लड़के ने रात को दारु पीकर आया और बच्ची को गंदी गाली गलौज करने लगा उनके घर के खिड़की के कांच भी तोड़ फोड़ डाले हमने 100 नंबर पर कॉल किया मौके पर पुलिस पहुँच गई । उनहोनें उसको डाटा और समझाया साथ में ये कहा कि इसके बाद ऐसी हरकत दुबारा नही होना चाहिए । 1,01,2017 को वह फिर दारु पीकर मेरे घर आया और बोल कर गया कि में कल आऊगा और तुमको उठाकर ले जाऊगा तुझे ऐसी जगह बेचूंगा कि तेरा बाप कभी भी ढुंढ नही सकेगा।
उपरोक्त केस बाह्मपुरी थाना के अंर्तगत आता है।

केस स्टडी न.5

विमला जी को पोता चिंकू उम्र- 8 वर्ष एक दिन अचानक ही स्कूल जाना बंद कर दिया । स्कूल जाने के नाम पर आनाकानी करने लगा विमला जी अपने पोते से प्यार से बहला कर पूछा कि कारण क्या है फिर उसने अपनी दादी को बताया कि उसे दो लड़के है जो कुछ दिनों से काफी परेशान कर रहे है। उसने बताया कि वह दोनों मुझे बाथरुम में बंद कर देते है और मेरे साथ मेरे कपड़े उतार कर गलत हरकत करते है में बहुत रोता हु तो मुझे धमकाते है वह तो मेरी आवाज सुनकर मेरा एक साथी वहाँ आ गया तो मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया। यह बात सुनकर विमला जी तो सन रह गई उनहोनें उसे समझाया और दुसरे दिन उसे स्कूल भेजा वह दोनों लड़के उसे रास्ते में घेर कर धमकी दि और उसकी पिटाई कर दिया अब वह स्कूल नहीं जाता।

पोक्सो कानून एक जागरुकता अभियान के अनुभवों व परिणाम को देखते हुए। एक्शन एड व स्नेह आंगन के साझा प्रयास से एस.ओ.एस, बाल ग्राम में बैठक आयोजित की गई ।

इस बैठक में उपस्थित राज्य बाल कल्याण आयोग कि अध्यक्ष श्रीमती मनन चतुर्वेदी, राज्य बाल कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोविन्द बेनिवाल, एस,डी,एम उदय सिंह, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिखवाल व समिति सदस्य, होम संचालन कर रही संस्थाएँ, यूनीसेफ, सी,डब्लू,सी, चाईल्ड लाईन के साथी, नरेन्द्र शर्मा एक्शन एड, अंकिता लुहारिया एक्शन एड, विजय गोयल स्नेहा आंगन, नसीमा खातून, ममता प्रारंभ संस्था, शिव जी खिलती कलीयाँ, सरिता वर्मा, सुनिता जी शामिल थें।

इस बैठक में विशेष रुप से बच्चों के संरक्षण व पोक्सो कानून के जागरुकता अभियान में निकल कर आए केस व अनुभव पर चर्चा हुई। जिसमें सब के सहमती से ये तय हुआ कि

इस मुद्दे पर सभी को साथ मिलकर कार्य करना होगा जिसपर निम्न प्रकार के सुझाव सामने आऐ।

- बच्चों के संरक्षण के लिए पहले से ही सरकार ने व्यवस्थाएँ बनाई है और इस कार्य से जुड़े जो भी विभाग व समितियों को जिम्मेदारी दि गई है। लेकिन कई विभाग सही रुप से कार्य नही कर रहे है जिसे सक्रिय करने कि जरुरत है। चाईल्ड लाईन कि ओर से एक नम्बर है 1098 जो एक हेल्पलाईन नम्बर है उसे इस्तेमाल करना होगा प्रथम सुचना दर्ज, एफ,आई,आर करवानी होगी ताकि व्यवस्था को जाँचा परखा जा सके।
- अगर कोई गम्भीर मामला है तो चाईल्ड लाईन से सिधे संर्पक कर केस में मदद कि जा सकती है।

पोक्सो कानून के लिए चलाए गए जागरुकता के आगामी रणनिति या इसको हम कैसे आगे बढ़ाया जाए:-

- सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखना कि सभी स्कूलों में बच्चों के बेल्ट या बैच आदि पर 1098 अंकित हो जिससें बच्चों को 1098 ये नम्बर याद रहे ।

- अभियान में आगे हमें ऐसे क्षेत्र जो समाज के मुख्यधारा से वंचित(धुमन्तु जाति) है व होस्टलस, डे केयर होम आदि में इस अभियान को ले जाना होगा।
- पोक्सो अभियान के अनुभव व रिर्पोट जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना एवं पुलिस डिपाटमेंट के साथ वर्कशॉप का आयोजन किया जाता पोक्सो के मामलों को प्राथमिकता से ले।
- पोक्सो अभियान के प्रभाव को देखते हुए काफी लोगों ने इस अभियान को अपने इलाकों में कराने कि गुजारिश कि है।
- सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी इस अभियान को चलाया जाना चाहिए।

गतिविधि आयोजन में किसी विभाग, संस्था, व्यक्तियों ने किसी प्रकार का सहयोग किया हो:-

क्रं.सं	नाम	संस्था का नाम	ई मेल, मोबाइल न.
1,	संदीप एडवीन	प्रारंभ संस्था	9829470869,
2,	सुषमा	प्रारंभ संस्था	7891066311, Sushma87@redffmail.com
3,	ममता शर्मा	प्रारंभ संस्था	8952881409,
4,	रमेश पालीवाल	टाबर संस्था	8426041515,
5,	लक्ष्मी अशोक	शिल्पायन संस्थान	9982664400, Shilpayan05@gmail.com
6,	शिपरा माथूर	शिल्पायन संस्थान	9460209869,
7,	बूतीराम	राजस्थान पॉजीटिव वूमेन नेटर्वक	9413908072, buteeram@gmail.com
8,	निशित कूमार सिंह	SRKPS संस्था	9801010929,
9,	विजय प्रकाश	SRKPS संस्था	7414067687,
10,	हिरेन्द्र कुमार	SRKPS संस्था	9649776843,
11,	वंदना दूबे	FXB INDIA	9828804444,
			8860221098,

12,	सत्य प्रकाश	FXB INDIA	spraksh@fxbsuraksh.org
13,	ज्योति शर्मा	जन कला साहितयमंच	9413472026,
14,	सरिता वर्मा	दलितमहिला अधिकार	,Sarita_v07@yahoo.co.in 9829479692
15,	सुनिता कुमारी	समर्पण संस्था	7615930449, Ssmeeta20@gmail.com
16,	रामदयाल वर्मा	समर्पण संस्था	9672490810,
17,	ज्योति सिंह	ज्योति सेवा संस्थान	9660728850, Jyotisewa9@gmail.com
18,	सुमन सिंह	Childline INDIA	9414006271, smniindia@gmail.com
19,	शांती बेलिवाल	Childline INDIA	7891325618,
20,	सुनिल कूमार	Childline INDIA	9785356847,
21,	निशा सिद्दू	राजस्थान प्रगति शील महिला फेडरेशन	9414443607
22,	निवेदिता	प्रिया संस्था	09818288044
23,	मेवा भारती	मेहनतकश	7691088340
24,	कनकलता	सामाजिक कार्यक्रता	9887538992